राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य आदि के भाग/हिस्सा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के संरेखण में आने वाली भूमि राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग/हिस्सा नहीं है तथा उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा से 10 किमी0 की परिधि/दूरी के अन्तर्गत कोई सेन्चुरी क्षेत्र नहीं पड़ता है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

(राजेश कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

जनपद हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखन में आने वाली संरक्षित वन भूमि से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई वन्य जीव विहार न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखन में आने वाली संरक्षित वन भूमि से 10 कि0मी0 की परिधि में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का कोई अंश नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

Scanned with CamScanner

LX 34036 Dt. 25-03-2021

कार्यालय प्रमागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक 2890 /14-1 दिनांक बुलन्दशहर, फरवरी, 21 2021।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट अथारिटी,
सी–13 द्वितीय तल पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ ।

विषय-- गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव बिहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या 15074/1832यूपीडा/20 (वन) दिनांक 20.1.2021 एवं वन संरक्षक, मेरठ की पत्र संख्या 2709/14–1 दिनांक 22.01.2021 ।

महोदय,

सन्दर्भित पत्रो से प्राप्त के कम में मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस–वे जोकि जनपद बुलन्दशहर से भी गुजरेगा के संरेखन में आने वाले क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव बिहार के ईको सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित होने का प्रमाण पत्र निम्न प्रकार है।

प्रमाणित किया जाता है कि बुलन्दशहर वन प्रभाग के अन्तर्गत मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस–वे जो हस्तिनापुर वन्यजीव की ईको सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर से गुजरेगा।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

संख्याः / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

for Manager (F)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

25/3/21

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा प्रभाग, अमरोहा

पत्रांक–1855/14–1 अमरोहा दिनांकः ~~जनवरी~~, 5/2/2021

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी,
सी–13 द्वितीय तल पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

विषयः– गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यजीव विहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1623/26–11(यूपीडा) दिनांक 22–01–2021

महोदय,

संदर्भित पत्र से प्राप्त के कम में मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस वे जो कि जनपद अमरोहा से भी गुजरेगा, के संरेखण में आने वाले संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यजीव विहार के इको सेन्सिटिव जो की सीमा से बाहर स्थित होने को प्रमाण पत्र निम्न प्रकार है –

"प्रमाणित किया जाता है कि अमरोहा वन प्रभाग के अन्तर्गत मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस वे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की इको सेन्सिटिव जोन की सीमा के बाहर से गुजरेगा।"

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक / दिनांकित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड ज़ोन, बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

E:\Sarveyar\Letter-0.doc

Lx 34036 Dt. 25-03-2021

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक 2890 /14-1 दिनांक बुलन्दशहर, फरवरी, 21 2021।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट अथारिटी,
सी–13 द्वितीय तल पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ ।

विषय-- गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव बिहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-- आपका पत्र संख्या 15074/1832यूपीडा/20 (वन) दिनांक 20.1.2021 एवं वन संरक्षक, मेरठ की पत्र संख्या 2709/14–1 दिनांक 22.01.2021 ।

महोदय,

सन्दर्भित पत्रो से प्राप्त के कम में मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस–वे जोकि जनपद बुलन्दशहर से भी गुजरेगा के संरेखन में आने वाले क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव बिहार के ईको सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित होने का प्रमाण पत्र निम्न प्रकार है।

प्रमाणित किया जाता है कि बुलन्दशहर वन प्रभाग के अन्तर्गत मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेस–वे जो हस्तिनापुर वन्यजीव की ईको सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर से गुजरेगा।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

संख्याः / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

For Manager (F)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

25/3/21

(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

LA 25780 DJ. 29-01-2021 | शजि-शर्मा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक– 1445 /14 –1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 25–1– 2021।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार, आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रॉक 15074/1832/यूपीडा/20(वन) दिनॉक 20.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि सम्भल वन प्रभाग, सम्भल सम्भल के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार, का भाग नहीं है तथा निर्धारित ईको सेन्सेटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित है।

प्रमाण–पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्भल वन प्रभाग, सम्भल सम्भल के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार, का भाग नहीं है तथा निर्धारित ईको सेन्सेटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित है।"

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश बरेली।
(2) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
(3) अधिकृत अधिकारी मे0 एल0एन0 मालविया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, भोपाल।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

ACEO / L. Manager (F)

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(यूपीडा) 21

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ
पत्रांक 2210 /32—2 बदायूँ दिनांक 7/04/2021

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट अथारिटी
सी—13 द्वितीय तल पर्यटन भवन विपिन खण्ड गोमती नगर
लखनऊ

विषयः— गंगा एक्सप्रेस—वे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव बिहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 045/1832/यूपीडा/20(वन) दिनांक 01.04.2021

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेज—वे जोकि बदायूँ जनपद से भी गुजरेगा के संरेखन में आने वाले क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव बिहार के ईको सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर है का प्रमाण पत्र निम्न प्रकार संलग्न कर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

प्रमाणित किया जाता है कि मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेज—वे जोकि बदायूँ जनपद से भी गुजरेगा के संरेखन में आने वाले क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव बिहार के ईको सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर है।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विवेक कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,बदायूँ।

पत्रांक / दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक रूहेलखण्ड जोन बरेली।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

(विवेक कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,बदायूँ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक /2 शाहजहांपुर, दिनांक / /2021

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
उ0प्र0 लखनऊ

विषय: गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान /वन्य जीव विहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी का पत्रांक-15074/1832 UPEIDA (वन)दिनांक-20-01-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र, जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के क्रम में सादर अवगत कराना है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी के पत्रांक 12103/1832 UPEIDA (वन) दिनांक .. .. 2020 के द्वारा विषयक प्रकरण में प्रस्तावित संरेखण में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में शाहजहॉपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाली संरक्षित वन भूमि/गैर संरक्षित वन भूमि के संयुक्त निरीक्षण की सूचना मै0 एल0एन0 मालविया इन्फ्रा प्रजेक्ट प्रा0 लि0 भोपाल को दिनांक 16-01-2021 को उपलब्ध करा दी गयी है। संदर्भित पत्र के क्रम में वांछित प्रमाण-पत्र निम्नवत है।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे संरेखण में प्रभावित रेंज ... शाहजहांपुर, तिलहर के क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार ईको-सेन्सटिव जोन के अन्तर्गत नही आते है।

भवदीय

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

पत्रांक- / /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, सी-13 द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक रूहेलखण्ड जोन बरेली (उ0प्र0)
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सा0वा0 बरेली वृत्त बरेली।

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

LT-25775 DT-29/01/2021

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 3098 /14-1 (गंगा एक्सप्रेस) हरदोई दिनांक 25-1- 2021।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ- 226010

विषयः- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के संरेखण मे आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक-1623/26-11(यपीडा), दिनॉक-22-01-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे प्रमाणित किया जाता है कि "जनपद हरदोई के अर्न्तगत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे के संरेखण मे आने वाली वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार का भाग नही है। पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के गजट नोटिफिकेशन S.O. 2776 (E) Dated 30.07.2019 मे साण्डी पक्षी विहार से 01 कि0मी0 की परिधि मे इको सेन्सटिव जोन के बाहर से गुजर रही है।"

अतः सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रॉक-................../उक्त दिनॉकित

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ACEO/Sr. Manager(F)

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(यूपीडा)

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

LT-539   जा-15/4/21

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक 3215 /14–1   दिनांक, 27 मार्च, 2021

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यू0पी0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः– गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय की पत्र सं0 15074/1832/यूपीडा/20(वन) दिनांक 20.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)/ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है जिसके माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार का भाग न होने तथा उनके निर्धारित इको–सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित होने का प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज का इको–सेन्सटिव जोन 200 मी0 है। जनपद उन्नाव में प्रभावित होने वाली कोई भी वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आती है एवं इनकी शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज से दूरी निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	प्रभावित वन ब्लाक	शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज से दूरी किमी0 में
1.	लखनऊ–कानपुर एनएच–25	8.500
2.	मुर्तजानगर	8.85
3.	रूपऊ	9.52
4.	मझखोरिया	10 किमी0 से अधिक
5.	पवई	10 किमी0 से अधिक
6.	कोटरा	10 किमी0 से अधिक
7.	पुरवा	10 किमी0 से अधिक
8.	सलेमपुर	10 किमी0 से अधिक
9.	मवई ब्रम्हनान	10 किमी0 से अधिक
10.	नवाबाद ग्रंट	10 किमी0 से अधिक
11.	ब्योली इस्लामाबाद	10 किमी0 से अधिक

Sr. Manager (F)

(Awanish Kumar Awasthi)
Chief Executive Officer
Ganga Expressways
Development
(UPEIDA)

15/4/21

(ईशा तिवारी)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

ZUBAIR_PAGE_NO 54

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

21 26524

DY 12-02-2021

Phone Fax : 0535-2208719
E-Mail : dforbl@yahoo.co.in

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली

पत्रांक- 3366 /14-10-4 रायबरेली, दिनांक- 03 फरवरी, , 2021

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
गोमती नगर, लखनऊ-226010 ।

विषय- **गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि का किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार आदि का भाग न होने का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।**

संन्दर्भ- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी, गोमती नगर, लखनऊ का पत्रांक-15074/18-32/ यूपीडा/20(वन) दिनांक- 20.01.2021 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-1623/26-11 (यूपीडा) दिनांक-22.01.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के संरेखण में प्रभावित वन भूमि जनपद रायबरेली में स्थित किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार का भाग नहीं है तथा उसके निर्धारित ईको सेन्सिटिव जोन से बाहर स्थित है। अतः आपके द्वारा वांछित सूचना अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह यादव)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक- / तद्दिनांकित।

1 प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक,लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ACEO / Sr Manager (F)

(महेन्द्र सिंह यादव)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

12.02.21
(अवनीश कुमार अवस्थी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

12/2/2021
(श्रीराम वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(यूपीडा)

प्रमाण पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आने वाली वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन वन्य विहार तथा इको सेन्सटिव जोन की सीमा से बाहर स्थित है।"

(वरूण सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ़।

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक 12103/1832यूपीडा / 20(वन) दिनांक 07.10.2020 से इस प्रभाग को उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के संरेखण में सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज में संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य जीव विहार, का भाग या कोई अन्य वन भूमि या कोई इको सेन्सिटिव जोन प्रभावित नहीं हो रहा है।

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
प्रयागराज

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

Land Transfer